अनुदान संख्या 45 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45–MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बढ़ाकर Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	254,60,00		256,70,00	192,10,64	–64,59,36
पूरक	Supplementary	2,10,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					66,99,75
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–			44,40,00	40,00,00	–4,40,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,40,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (6459.36 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 210.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (6699.75 लाख रु.) कुल बचतों से भी अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.6459.36 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.210.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered (Rs.6699.75 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1961.00			
पू.	S.	126.00	1901.55	1901.33	–0.22
पु.	R.	–185.45			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries				
मू.	O.	8980.00			
			4078.14	4828.14	+750.00
पु.	R.	–4901.86			
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	11924.00			
पू.	S.	84.00	12987.86	12478.47	–509.39
पु.	R.	979.86			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2460.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–2460.00			

(I) 2545.00 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2360.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "अन्य व्यय - संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण" - 160.00 लाख रु.;

(खा) "मछली पालन - समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" - 1000.00 लाख रु.;

(गा) "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" -

(क) "बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - 1000.00 लाख रु.; और

(1) Provision of Rs.2545.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these Rs.2360.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Other Expenditure - Strengthening of Institutions" – Rs.160.00 lakhs;

(B) "Fisheries-Marine Fisheries – Deep Sea Fishing Operations" - Rs.1000.00 lakhs;

(C) "Food – Food Processing" -

(a) "Horticulture based Industries - Scheme for Technology Up gradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries" - Rs.1000.00 lakhs; and

(ख) ''दुग्ध आधारित उद्योग - गुणवत्ता आश्वासन, कूट मानक अनुसंधान और विकास तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''बागवानी आधारित उद्योग'' - 233.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 41.35 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 274.35 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 111.84 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(खा) ''मांस खाद्य उत्पाद आदेश'' - 93.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 38.55 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 131.55 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 41.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों के संबंध में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण दिसम्बर, 2008 से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को किए जाने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय'' के अंतर्गत 966.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 126.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1092.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण 67.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''अन्य व्यय - संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 118.34 लाख रु. की बचत (295.00

(b) "Milk based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, Research and Development and other Promotional Activities" - Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2408" - "Food - Food Processing" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Horticulture based Industries" - the original provision of Rs.233.00 lakhs was augmented to Rs.274.35 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.41.35 lakhs. However, there was a saving of Rs.111.84 lakhs (including supplementary grant); and

(B) "Meat Food Product Order" - the original provision of Rs.93.00 lakhs was augmented to Rs.131.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.38.55 lakhs. However, there was a saving of Rs.41.33 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to transfer of officers and staff engaged on schemes to the Food Safety and Standards Authority of India w.e.f. December, 2008.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" - the original provision of Rs.966.00 lakhs was augmented to Rs.1092.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.126.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.67.33 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) Under Major Head "3451" - "Other Expenditure – Strengthening of Institutions" - saving of Rs.118.34 lakhs (against the sanctioned

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और भारतीय फसल प्रसंस्करण बोर्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2405'' - ''समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना'' के अंतर्गत 4151.86 लाख रु. की बचत (8980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति और आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अवसंरचनात्मक प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - बाजारू भोजन की गुणवत्ता के उन्नयन संबंधी स्कीम'' के अंतर्गत 247.38 लाख रु. की बचत (440.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) ''बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम'' - 168.09 लाख रु. का अधिक व्यय (425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) ''बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम'' - 697.39 लाख रु. का अधिक व्यय (8990.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उद्यमियों/संस्थाओं/संगठनों से अधिक व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

provision of Rs.295.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from the implementing agencies and non-completion of registration process of Indian Crop Processing Board.

(V) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries – Deep Sea Fishing Operations" - saving of Rs.4151.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8980.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in approval of infrastructural proposals by Expenditure Finance Committee/ Cabinet Committee on Economic Affairs.

(VI) Under Major Head "2408" – "Food – Food Processing - Horticulture based Industries - Scheme for upgradation of quality of street food" - saving of Rs.247.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.440.00 lakhs) was due to delay in receipt of the Project Reports from the implementing agencies.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2408" - "Food – Food Processing" - under the following heads:-

(I) "Horticulture based Industries – Scheme for Human Resources Development" - excess of Rs.168.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.425.00 lakhs); and

(II) "Horticulture based Industries - Scheme for Technology Up gradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries" - excess of Rs.697.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8990.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to receipt of more viable proposals from entrepreneurs/institutions/organizations and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	440.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–440.00			

(I) 440.00 लाख रु. का प्रावधान ''खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना'' के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs 440.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Food - Food Processing - Horticulture based Industries- Setting up of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management" - due to non-receipt of viable proposals.